न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोरमी जिला मुंगेली (छ.ग.)

प्ररूप–ड.

(नियम 7 (2) देखिये)

अनुशंसा

क्रमांक / 85 / रीडर / अ.वि.अ / 2025 लोरमी, दिनांक 16.01.2025

प्रति,

खण्ड चिकित्सा अधिकारी
सामु. स्वा. केन्द्र लोरमी,
जिला मुंगेली (छ.ग.)

विषय :– वृक्ष की कटाई हेतु अनुशंसा।

...........000.........

विषयांतर्गत आपका पत्र दिनांक 31.07.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 09.09.2024 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 21.09.2024 प्राप्त हुआ।

आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :– पुराना अस्पताल भवन परिसर के सामने एक नग पीपल एवं जामुन का वृक्ष स्थित है। आवेदक द्वारा उक्त स्थान पर बी.पी.एम.यू. भवन की स्वीकृति प्राप्त है। इसलिए उक्त 02 वृक्षों को नियमानुसार कटाई किया जाना प्रतिवेदित किया है।

तहसीलदार एवं वनपरिक्षेत्र अधिकारी लोरमी द्वारा प्रस्तुत संयुक्त स्थल निरीक्षण, प्रतिवेदन का सूक्ष्मता से अवलोकन व परीक्षण किया जिससे स्पष्ट है कि पुराना अस्पताल भवन परिसर के सामने प्राकृतिक रूप से उगे एक नग जामुन एवं एक नग पीपल के वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

(अजीत पुजारी)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
लोरमी जिला मुंगेली (छ.ग.)

लोरमी, दिनांक 16.01.2025

पृ.क्रमांक / 86 / रीडर / अ.वि.अ / 2025

प्रतिलिपिः-

1. कलेक्टर महोदय, मुंगेली को सादर सूचनार्थ।
2. वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र लोरमी, जिला मुंगेली को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार लोरमी वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

(अजीत पुजारी)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
लोरमी जिला मुंगेली (छ.ग.)